न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी रतन लाल योगी आर.ए.एस.

सप्लाई विविध प्रकरण संख्या : 12/2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर		श्री शोयब पुत्र श्री अब्दुल जलील जाति-मुसलमान, निवासी खाण्डा फालसा अलफलहा मस्जिद के पास, जोधपुर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थितिः –
1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार श्री मानवेन्द्र, प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर उपस्थित।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 24.07.2024

प्रार्थी राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर की ओर से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं प्रदाय नियन्त्रण) आदेश 2000 के अन्तर्गत अप्रार्थी श्री शोयब पुत्र श्री अब्दुल जलील, जाति मुसलमान, निवासी खाण्डा फालसा, अलफलहा मस्जिद के पास, जोधपुर के विरूद्ध यह प्रकरण जब्तसुदा 05 घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात करने हेतु श्रीमान् जिला कलक्टर, जोधपुर को दिनांक 13.07.2023 को पेश किया। श्रीमान् जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा यह प्रकरण दिनांक 20.07.2023 को सुनवाई के लिए इस न्यायालय को प्रेषित किया गया जिसको दिनांक 31.07.2023 को दर्ज किया जाकर पक्षकारों को सुना गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 12.07.2023 को जिला प्रवर्तन अधिकारी व प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर द्वारा खाण्डा फालसा अलफलहा मस्जिद के पास स्थित मो. शोयब के दुकान की अ[illegible] जांच [illegible] पर उपस्थित व्यक्ति ने अपना श्री शोयब पुत्र श्री अब्दुल जलील बताया एवं दु[illegible] पर [illegible] के पर ए.पी.गैस के 05 घरेलु गैस सिलेण्डर पाए गए, जिनका उपयोग दुकान में [illegible] पर लगाकर रंगाई छपाई के कार्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Yogi
Date: 2024.08.29 16:10:07 IST
Reason: SelfAttested

में किया जा रहा था। इस बाबत दुकानदार के द्वारा किसी तरह का कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया जिसका विवरण इस प्रकार है:-

क्र. स.	गैस कम्पनी का नाम	एस.आर.नम्बर	सिलेण्डर का वजन	कुल वजन	गैस का वजन (किलो में)
1.	HPCL	160122	15.6 कि.ग्रा.	19.0 कि.ग्रा.	3.4 कि.ग्रा.
2.	HPCL	027867	15.8 कि.ग्रा.	29.7 कि.ग्रा.	13.9 कि.ग्रा.
3.	HPCL	910409	15.6 कि.ग्रा.	24.7 कि.ग्रा.	9.1 कि.ग्रा.
4.	HPCL	253930	15.6 कि.ग्रा.	29.8 कि.ग्रा.	14.2 कि.ग्रा.
5.	HPCL	933166	15.7 कि.ग्रा.	15.7 कि.ग्रा.	0.0 कि.ग्रा.

उक्त 05 घरेलु गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया जाकर प्रतिनिधि चन्द्रा गैस सर्विस गीता भवन रोड् के मैनेजर श्री सुनील कुमार पुत्र रामरतन को सुपुर्द किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त 05 घरेलु गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था जो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी द्वारा धारा 6(ए) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जब्त उक्त 05 घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात् किये जाने की प्रार्थना की गई।

अप्रार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर नोटिस का लिखित जवाब पेश किया जिसमें बताया कि प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर द्वारा मौके से 05 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किये गये। वक्त जांच मौके पर मेरे द्वारा किसी प्रकार के कागजात या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। यदि जब्त 05 घरेलु सिलेण्डर को जब्त किया जाता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुए प्रार्थना की है कि यह मेरा प्रथम अपराध है जो कि जानबूझकर नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थी द्वारा अपने प्रथम अपराध को क्षमा करते हुए न्यायोचित आदेश हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में प्रार्थी विभागीय पेरोकार की बहस सुनी गयी। प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार श्री मानवेन्द्र प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा वक्त जांच मौके पर 05 घरेलू सिलेण्डर पाये गये जिनका उपयोग दुकान में भट्टी पर लगाकर रंगाई छपाई के कार्य में किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा 05 घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग में लिया जाने से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है जिसके कारण जब्त उक्त 05 घरेलू गैस सिलेण्डर को राज्यसात किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय) जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Yogi
Date: 2024.08.29 16:10:07 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी ने प्रकरण में प्रस्तुत अपने लिखित जवाब को ही अपनी बहस मानते हुए जवाब में अपना जुर्म स्वीकार करते हुए प्रार्थना की है कि वक्त जांच मौके पर मेरे द्वारा किसी प्रकार के कागजात या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। यदि जब्त उक्त 05 घरेलु सिलेण्डर को जब्त किया जाता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। यह मेरा प्रथम अपराध है जो कि जानबूझकर नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थी द्वारा अपने प्रथम अपराध को क्षमा करते हुए न्यायोचित आदेश हेतु निवेदन किया गया।

हमने विभागीय पेरोकार की बहस व अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत लिखित जवाब पर मनन एवं प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार वक्त जांच मौके पर उक्त 05 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये जिसके संबंध में अप्रार्थी द्वारा किसी तरह के कागजात या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। अप्रार्थी द्वारा उक्त 05 घरेलू गैस सिलेण्डर जिनका उपयोग दुकान में भट्टी पर लगाकर रंगाई छपाई के कार्य में किया जाकर व्यावसायिक उपयोग में लिया जा रहा था जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तसुदा उक्त 05 (पांच) घरेलू गैस सिलेण्डरों को राज्यसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि जब्तसुदा 05 (पांच) घरेलू गैस सिलेण्डरों का नियमानुसार निस्तारण किया जाकर राशि राज्य कोष में जमा कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतन लाल योगी)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Yogi
Date: 2024.08.29 16:10:07 IST
Reason: SelfAttested